

## मैनुअल II

### अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

[धारा 4 (1)(b)(ii)]

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

| क्र.सं. | पद का पदनाम   | शक्तियां   |   |   |      | कर्तव्य<br>संग्रह |
|---------|---|--|---|---|------|-------------------|
|         |   | प्रशासनिक  | वित्तीय                                   | सांविधिक  | अन्य |                   |
| 1       | आयोग<br>(अध्यक्ष + 2<br>सदस्य)                                  | -  | -   | विद्युत अधिनियम,<br>2003 की धारा 181<br>के अंतर्गत आयोग के<br>साथ निहित   |      |                   |
| 2       | अध्यक्ष /<br>मुख्य कार्यकारी                                    | सभी 'ए' श्रेणी के पदों<br>की नियुक्ति एवं<br>अनुशासनात्मक<br>प्राधिकारी (समय-<br>समय पर संशोधित<br>डीईआरसी के विनियम<br>एमडीएचआर, 2001<br>के अनुसार)                 | डीएफपीआर,<br>डीईआरसी के<br>2021 के अनुसार |   |      |                   |
| 3 (a)   | सचिव /<br>विभागाध्यक्ष  | सभी 'बी' एवं 'सी'<br>श्रेणी के पदों की<br>नियुक्ति एवं<br>अनुशासनात्मक<br>प्राधिकारी (समय-<br>समय पर संशोधित<br>डीईआरसी के<br>एमडीएचआर,<br>विनियम 2001 के<br>अनुसार) | डीएफपीआर,<br>डीईआरसी के<br>2021 के अनुसार | डीईआरसी व्यापक<br>(व्यापार विनियमों का<br>संचालन, 2001) की<br>धारा 6(ii) के प्रावधानों<br>के अंतर्गत आयोग के<br>प्रमुख अधिकारी और<br>6(ii) के प्रावधानों के रूप<br>में सचिव की शक्तियां<br>विनियामक आयोग की<br>वेबसाइट:<br><a href="http://www.derc.gov.in">www.derc.gov.in</a> पर<br>उपलब्ध हैं। |      |                   |
| 3 (b)   | उप. निदेशक<br>(कार्मिक) को<br>कार्यालय प्रमुख भी<br>कहा जाता है | -  | डीएफपीआर,<br>डीईआरसी के<br>2021 के अनुसार |   |      |                   |